राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक एफ 4 ( )आकाशि/नि.सं./2022 / 454 दिनांक 17/05/22

नोडल प्राचार्य
(निजी महाविद्यालयों से संबंधित)
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान

विषयः– पूर्व संचालित महाविद्यालयों के सत्र 2022–23 हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के निरीक्षण करने एवं पत्रावलियां आयुक्तालय को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– समसंख्यक पत्र क्रमांक 889 दिनांक 28.04.2022, क्रमांक 450 दिनांक 11.05.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सत्र 2022–23 हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के निरीक्षण करने एवं पत्रावलियां आयुक्तालय को प्रेषित करने के संदर्भ में निम्न बिन्दुओं की अनुपालना सुनिश्चित की जानी हैः–

1. महाविद्यालय एडमिन मे प्राप्त समस्त ऑनलाइन आवेदनो की जांच करें , समस्त ऐसे प्रकरण जिसमें निजी महाविद्यालयों को सत्र 2022–23 हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है का निरीक्षण कर विधि महाविद्यालय हेतु दिनांक 09.05.2022 तक तथा सामान्य महाविद्यालयों के लिए दिनांक 17.05.2022 तक पत्रावलियां आयुक्तालय को प्रेषित की जानी थी यदि किन्ही कारणवश प्रेषित नही की जा सकी हो तो उनके निरीक्षण पूर्ण कर अविलम्ब 24.05.2022 तक अनिवार्य रूप से व्यक्तिशः प्रेषित करावें।
2. सत्र 2022–23 से कमीपूर्ति पत्र नोडल प्राचार्य को सम्बोधित कर प्रेषित किये जा रहे है जिसका उद्वेश्य निजी महाविद्यालयों की अधिकतम कमीपूर्ति नोडल प्राचार्य स्तर पर ही पूर्ण करवाकर प्रेषित करना है किन्तु किसी भी परिस्थिति में कमीपूर्ति पत्र में दी गई समय सीमा का उल्लघंन न करें। इसके लिए आवश्यकतानुसार संस्था को दूरभाष/स्मरण पत्र के माध्यम से सूचित करते रहे।
3. महाविद्यालय स्तर पर गठित किये जाने वाले निरीक्षण दलो को पारदर्शिता बनाये रखने के लिए संस्था के लिए परिवर्तित करते रहे।
4. यदि कमीपूर्ति संस्था के भवन से सम्बन्धित है तो भवन का आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने के पश्चात् ही आवश्यक टिप्पणी के साथ पत्रावली प्रेषित करें। आयुक्तालय स्तर से अलग से निर्देश की प्रतीक्षा नही करें।
5. निजी महाविद्यालयों के स्टाफ के सम्बन्ध में **केवल यूजीसी योग्यता सम्बन्धी दस्तावेज** यथा नेट/पीएचडी प्रमाण पत्र ही प्रेषित करें।
6. पत्रावलियां संदर्भित पत्र दिनांक 28.04.2022 के साथ संलग्न चेकलिस्ट अनुसार दस्तावेज लगाते हुए ही प्रेषित करें।
7. महाविद्यालय कमीपूर्ति के समस्त दस्तावेज आवश्यक रूप से नोडल अधिकारी से प्रमाणित करवाकर स्पष्ट टिप्पणी/अनुशंषा के साथ ही आयुक्तालय को प्रस्तुत करें।
8. स्टाफ को बैंक से किये गए वेतन भुगतान प्रमाण पत्र / स्टेटमेंट में कार्यरत स्टाफ के नाम **चिन्हित कर** प्रस्तुत करें।
9. प्रबंध समिति के लिए आवश्यक दस्तावेज में केवल प्रबंध समिति का **रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र** एवं **प्रबंध समिति की सूची** ही प्रस्तुत करें, विधान आदि प्रस्तुत नहीं करें ।

संयुक्त निदेशक (नि. सं.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव/प्राचार्य, निजी महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त बिन्दुओं के संदर्भ में नोडल प्राचार्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए निश्चित समय सीमा मे ही पत्रावली प्रेषित करावें।
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि. सं.)